

भारत में बासल III पूंजी विनियमावली का कार्यान्वयन - संशोधन
(दिनांक 20 अगस्त 2014 का परिपत्र सं. बीपी. बीसी. 34/21.06.201/2014-15 देखें)

अनुबंध 16

अतिरिक्त टियर 1 पूंजी लिखतों की पूर्व-विनिर्दिष्ट ट्रिगर पर तथा सभी गैर-इक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों की अव्यवहार्यता बिंदु पर हानि अवशोषणता सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम अपेक्षाएं

1. परिचय

1.1 जैसा कि बासल III पूंजी विनियमावली के पैरा 4.2.4 में बताया गया है, बासल III के अंतर्गत जब बैंक लाभप्रद स्थिति में हो, टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने वाले गैर-सामान्य इक्विटी तत्वों को हानि अवशोषण करना चाहिए। इस संबंध में अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड यह है कि इन लिखतों में प्रमुख हानि अवशोषण (i) सामान्य शेयरों में परिवर्तन अथवा (ii) राइट-डाउन प्रणाली द्वारा होना चाहिए, जो इन लिखतों के बीच वस्तुगत पूर्व-विनिर्दिष्ट ट्रिगर बिंदु पर हानियों का बंटवारा करता है।

1.2 वित्तीय संकट के दौरान अनेक विपदाग्रस्त बैंकों को सरकारी क्षेत्र द्वारा सामान्य इक्विटी तथा टियर 1 पूंजी के अन्य रूपों में निधियों का अतःक्षेपण करके राहत दी गई थी। हालांकि इसके प्रभाव से जमाकर्ताओं को सहायता मिली थी, किंतु इसका अर्थ यह भी था कि टियर 2 पूंजी लिखत (मुख्यतः गौण ऋण) और कुछ मामलों में टियर 1 लिखतों ने कतिपय बड़े अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों द्वारा की गई हानियों का अवशोषण नहीं किया। यदि सरकारी क्षेत्र ने सहायता उपलब्ध नहीं कराई होती, तो वे डूब जाते/दिवालिया हो जाते। अतएव बासल III की अपेक्षा है कि किसी बैंक द्वारा जारी किए गए सभी गैर-सामान्य टियर 1 और टियर 2 पूंजी लिखतों के निबंधनों और शर्तों में यह उपबंध अवश्य होना चाहिए जिसमें ट्रिगर घटना होने पर संबंधित प्राधिकारी के विकल्प के द्वारा ऐसे लिखतों को राइट-ऑफ अथवा सामान्य इक्विटी में परिवर्तित किया जा सकता है।

1.3 अतएव, बैंक द्वारा जारी किए गए किसी लिखत को अतिरिक्त (अर्थात् गैर-सामान्य) टियर 1 अथवा टियर 2 पूंजी में शामिल करने की दृष्टि से **अनुबंध 3, 4, 5 और 6** में उल्लिखित अलग-अलग प्रकार के गैर-इक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों के लिए मानदंडों के अलावा उसे निम्नलिखित पैराग्राफों में निर्धारित की गई न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति या उससे अधिक करनी होगी।

2. अतिरिक्त टियर 1 (एटी1) लिखतों का पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर पर हानि अवशोषण

1. हानि अवशोषण विशेषताएं

2.1 एटी 1 पूंजी लिखतों² के मानदंडों में से एक यह है कि इन लिखतों में या तो

(i) सामान्य शेयरों में परिवर्तन, अथवा

(ii) राइट-डाउन पद्धति, जो लिखतों को हानियों का बंटवारा करती है,

के द्वारा एक वस्तुनिष्ठ पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर बिंदु पर मुख्य हानि अवशोषण होना चाहिए।
राइट डाउन के निम्नलिखित प्रभाव होंगे :

(क) परिसमापन में लिखत का दावा कम करना;

(ख) जब क्रय (call) का प्रयोग किया जाता है तब चुकौती की राशि घटाना; और

(ग) लिखत पर कूपन/लाभांश के भुगतान को आंशिक या पूर्ण रूप से कम करना।

2.2 तदनुसार, बैंक संपरिवर्तन³ अथवा राइट-डाउन (अस्थायी या स्थायी)⁴ प्रणाली के साथ एटी1 लिखत जारी कर सकते हैं।

॥ संपरिवर्तन/राइट-डाउन के द्वारा निर्मित पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर का स्तर तथा इक्विटी की राशि

2.3 अतिरिक्त टियर I लिखतों (पीएनसीपीएस तथा पीडीआई) पर संपरिवर्तन/राइट-डाउन के माध्यम से पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर पर हानि अवशोषण कम से कम जोखिम भारित आस्तियों⁵ के 6.125% सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी का होना चाहिए। किसी अतिरिक्त टियर 1 पूंजी लिखत के राइट-डाउन से पहले किसी भी सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजीका राइट-डाउन करना अपेक्षित नहीं होगा।

2.4 संपरिवर्तन/राइट-डाउन पद्धति (अस्थायी या स्थायी), जो अतिरिक्त टियर 1 लिखतों (एटी 1) पर हानियों का बंटवारा करती है, को लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत सामान्य इक्विटी टियर I (सीईटी 1) अवश्य उत्पन्न करना चाहिए। इन लिखतों को एटी 1 पूंजी में मान्यता लिखतों के पूर्ण राइट-डाउन/संपरिवर्तन के द्वारा

² कृपया "भारत में बासल III पूंजीविनियमावली के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश" पर दिनांक 02 मई 2012 के परिपत्र बैंपवि. सं. बीपी. बीसी.

98/21.06.201/2011-12 के परिशिष्ट 4 और 5 देखें।

³ संपरिवर्तन का मतलब है सामान्य शेयरों में परिवर्तन।

⁴ जब किसी प्रदत्त लिखत को पूर्णतः और स्थायी रूप से रिटन डाउन किया जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक की देयता (एक गैर-सामान्य इक्विटी लिखत) समाप्त हो जाती है और सीईटी 1 उत्पन्न होती है। एक अस्थायी राइट-डाउन किसी संपरिवर्तन और स्थायी राइट-डाउन से अलग होता है, अर्थात् इसमें मूल लिखत पूर्णतः समाप्त नहीं होता। सामान्यतः लिखत का सम-मूल्य ट्रिगर घटना के घटित होने पर रिटर्न-डाउन किया जाता है (घटा दिया जाता है) तथा उसे भविष्य में उसके मूल मूल्य तक रिटर्न-अप (बढ़ाया) जा सकता है। यह लिखत में निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर निर्भर करता है। अस्थायी राइट-डाउन के बाद तुलनपत्र में दर्शाई गई राशि लिखत को स्पष्ट विशेषताओं तथा प्रचलित लेखांकन मानकों पर निर्भर करेगी।

⁵ 31 मार्च 2019, अर्थात् बासल III के पूर्ण कार्यान्वयन से पूर्व जारी किए गए सभी एटी 1 लिखतों में दो पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर होंगे। आरडब्ल्यूएस के 5.5% की सीईटी 1 पर न्यूनतम पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर 31 मार्च 2019 से पहले लागू और प्रभावी होगा; इस तारीख के बाद ऐसे सभी लिखतों के लिए ट्रिगर को आरडब्ल्यूएस के 6.125% की सीईटी 1 तक बढ़ा दिया जाएगा। 31 मार्च 2019 को या उसके बाद जारी एटी 1 लिखतों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर आरएलएस के 6.125% की सीईटी 1 पर ही होगा।

केवल उत्पन्न सीईटी 1 (अर्थात् भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त आकस्मिक देयता, संभावित कर देयताओं आदि, यदि हों, को घटा कर) के न्यूनतम स्तर की सीमा तक ही प्राप्त होगी।

2.5 बैंकों को सांविधिक लेखा-परीक्षकों से एक प्रमाण पत्र लेना चाहिए, जिसमें स्पष्ट कहा गया हो कि बैंक द्वारा एक विशिष्ट एटी 1 निर्गम के लिए चुनी गई संपरिवर्तन/राइट-डाउन पद्धति मौजूदा लेखांकन मानकों⁶ के अंतर्गत सीईटी 1 उत्पन्न करने में समर्थ है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को एक बाहरी कानूनी सलाह भी प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें पुष्टि की गई हो कि जारीकर्ता बैंक द्वारा पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर पर अतिरिक्त टियर 1 पूंजी लिखत का संपरिवर्तन या राइट-डाउन करना कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है। प्रचालन के संबंधित ब्योरों की रिपोर्टिंग के साथ ही दोनों रिपोर्टें भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंपविवि) को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

2.6 ट्रिगर स्तर का उल्लंघन होने पर राइट-डाउन/संपरिवर्तन किए जाने वाले सभी एटी 1 लिखतों की समग्र राशि कम से कम उतनी तो होनी ही चाहिए, जितनी बैंक को सीईटी 1 अनुपात के ट्रिगर स्तर पर लौटाने के लिए तत्काल आवश्यकता है अथवा यदि यह संभव न हो, तो लिखतों की पूर्ण मूल मूल्य तक होनी चाहिए। इसके अलावा, जारीकर्ता के पास संपरिवर्तन/राइट डाउन किए जाने वाले एटी 1 लिखतों की राशि निर्धारित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होना चाहिए, बशर्ते संपरिवर्तन/राइट-डाउन की राशि उस राशि से अधिक न हो, जो सीईटी 1 अनुपात को आरडब्ल्यूए के 8% (5.5% की न्यूनतम सीईटी 1 + 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर) पर लाने के लिए आवश्यक हो।

2.7 जब कोई बैंक एटी 1 के हानि अवशोषण के पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर का उल्लंघन करता है और संपरिवर्तन अथवा राइट-डाउन के द्वारा इक्विटी की पुनः पूर्ति की जाती है, तो पूंजी संरक्षण बफर का रख-रखाव करने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार लाभांश की अदायगी करने के लिए आमदनी के अनुपात का निर्धारण करने के प्रयोजन से इक्विटी की ऐसी पुनः पूर्ति की राशि को बैंक की कुल इक्विटी में शामिल नहीं किया जाएगा। तथापि, एक बार जब बैंक पुनः पूर्ति की गई इक्विटी पूंजी को गिने बिना 8% का कुल सामान्य इक्विटी अनुपात प्राप्त कर लेता है, तो उस बिंदु से आगे बैंक सभी प्रयोजनों से पुनःपूर्ति इक्विटी पूंजी को शामिल कर सकता है⁷।

2.8 यदि पहले संपरिवर्तन/राइट-डाउन, जो आंशिक था, के बाद बैंक पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर स्तर पर पहुंच जाता है, तो एक से अधिक बार संपरिवर्तन/राइट-डाउन की अनुमति दी जा सकती है।

2.9 एटी 1 लिखतों के संपरिवर्तन/राइट-डाउन का प्राथमिक उद्देश्य हानियों के द्वारा जर्जर होने की स्थिति में इक्विटी की पुनः पूर्ति करना है। अतएव, बैंकों को अतिरिक्त दायित्व उठाकर आस्तियों की बुकिंग करके तुलन पत्र

⁶ केवल लिखत जारी करते समय ही नहीं, बल्कि जब भी लेखांकन मानदंड/मानक, जो साईटी 1 उत्पन्न करने हेतु लिखत की हानि अवशोषण प्रणाली की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, में परिवर्तन होता है, लेखा-परीक्षकों का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

⁷ यदि बैंक का कुल साईटी 1 अनुपात दुबारा 8% से नीचे गिर जाता है, तो पूंजी संरक्षण बफर संरचना लागू करने के प्रयोजन से वह पुनः पूर्ति की गई पूंजी को शामिल करेगा।

के विस्तार को संभालने के लिए संपरिवर्तन/राइट-डाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तदनुसार, कोई बैंक जिसका सामान्य इक्विटी अनुपात हानियों के कारण 8% से नीचे गिर गया हो, किंतु अब भी 6.125%, अर्थात् ट्रिगर बिंदु से ऊपर हो को केवल अपने विद्यमान शेयरधारकों या बाजार और आंतरिक उपचय के द्वारा नई इक्विटी जुटा कर अपने तुलन पत्र के विस्तार का प्रयास करना चाहिए। तथापि, नए एक्सपोजर विद्यमान एक्सपोजरों के परिशोधन की सीमा तक ही लिए जा सकते हैं। यदि एक्सपोजरों में कोई विस्तार, जैसे स्वीकृत उधार सीमाओं के आहरण द्वारा गिरावट के कारण, अपरिहार्य हो, तो अन्य एक्सपोजरों में कमी करके अल्पतम संभव समय में इसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए⁸। बैंक को उचित अभिलेख रखने चाहिए, ताकि आंतरिक लेखा-परीक्षकों, सांविधिक लेखा-परीक्षकों और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा इन लेनदेनों के सत्यापन में सुविधा हो।

III. बैंक के ठप्प होने, समामेलन, अधिग्रहण, पुनर्रचना आदि स्थितियों में एटी 1 लिखतों का ट्रीटमेंट

2.10 यदि एटी 1 लिखतों का राइट-डाउन/संपरिवर्तन करने से पहले बैंक परिसमापन में जाता है तो ये लिखत प्रस्ताव प्रलेख में उल्लिखित वरीयता के क्रम तथा प्रभारों की प्राथमिकता शासित करने वाले सामान्य विधिक प्रावधानों के अनुसार हानि अवशोषण करेंगे।

2.11 यदि बैंक एटी 1 लिखतों को राइट-डाउन करने के बाद परिसमापन में जाता है, तो इन लिखतों के धारकों का परिसमापन की आय पर कोई दावा नहीं रहेगा।

(क) बैंकिंग कंपनी का समामेलन: (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 क)

2.12 यदि एक बैंक का किसी अन्य बैंक के साथ समामेलन एटी 1 लिखतों के राइट-डाउन/संपरिवर्तन से पहले होता है, तो ये लिखत विलयन के बाद उभरने वाले नए बैंक की विनियामक पूंजी के अनुरूप श्रेणियों का एक भाग बन जाएंगी।

2.13 यदि एटी 1 लिखतों के अस्थायी राइट-डाउन के बाद कोई बैंक किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित होता है, तो समामेलित संस्था अपने विवेकाधिकार के अनुसार इन लिखतों को राइट-अप कर सकती है।

2.14 यदि गैर-इक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों को स्थायी रूप से राइट डाउन करने के बाद कोई बैंक किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित होता है, तो समामेलित संस्था द्वारा इन्हें राइट -अप नहीं किया जा सकता।

⁸ ट्रिगर के उल्लंघन के निर्धारण के प्रयोजन से सीईटी 1के 8% के नीचे गिर जाने के बाद जुटाई गई नई इक्विटी, यदि कोई हो, को घटाया नहीं जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि बैंक का सीईटी 1 अब ट्रिगर स्तर से ऊपर है, जबकि यदि नई इक्विटी नहीं जुटाई गई होती तो यह ट्रिगर से नीचे होता तो ट्रिगर का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

(ख) बैंकिंग कंपनी के पुनर्गठन या समामेलन की योजना (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45)

2.15 यदि संबंधित प्राधिकारी बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 45 के अधीन किसी बैंक का पुनर्गठन या किसी अन्य बैंक के साथ समामेलन करने का निर्णय लेते हैं तो ऐसे बैंक को अव्यवहार्य अथवा अव्यवहार्यता की ओर अग्रसर माना जाएगा तथा एटी 1 लिखतों के संपरिवर्तन/राइट-डाउन के लिए पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर तथा अव्यवहार्यता बिंदु पर ट्रिगर 9, दोनों सक्रिय हो जाएंगे। तदनुसार, इन नियमों के अनुसरण में समामेलन/पुनर्गठन से पहले एटी 1 लिखतों को पूर्णतः संपरिवर्तन/स्थायी रूप से राइट डाउन कर दिया जाएगा।

IV. संपरिवर्तन मूल्य का निर्धारण, शेयरों/मताधिकारों की संख्या की अधिकतम सीमा तय करना/कैपिंग

2.16 बैंक संपरिवर्तन विशेषताओं के साथ एटी 1 लिखत जारी कर सकते हैं, जो या तो जारी करते समय नियत कीमत के आधार पर होंगे या संपरिवर्तन के समय प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर होंगे¹⁰।

2.17 यह संभावना होगी कि संपरिवर्तन के समय शेयरों का मूल्य बहुत कम होने की स्थिति में ऋण धारक बड़ी संख्या में शेयर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार, ऋण धारकों के पास विधिक रूप से अनुमत सीमाओं से अधिक बड़ी संख्या में शेयर और संलग्न मताधिकार होंगे। अतएव, बैंकों को किसी सांविधिक/विनियामक अधिकतम सीमा, विशेषतः प्रति निवेशक/संबंधित निवेशकों के समूह के लिए अधिकतम निजी शेयर धारिताओं और अधिकतम मताधिकारों से संबंधित, का उल्लंघन किए बिना संपरिवर्तन के कारण अतिरिक्त इक्विटी का समायोजन करने के लिए हमेशा पर्याप्त गुंजाइश रखनी चाहिए। इसे हासिल करने की दृष्टि से बैंकों को शेयरों तथा/अथवा मताधिकारों की संख्या पर बैंकों के स्वामित्व और शासन से संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार अधिकतम सीमा तय करनी चाहिए। बैंकों को लिखत के प्रस्ताव प्रलेख के निबंधनों और शर्तों में इन विशेषताओं को समुचित रूप से शामिल करना चाहिए। अपवादात्मक परिस्थितियों में, यदि उल्लंघन अपरिहार्य हो, तो बैंक को इस बार में तत्काल भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करना चाहिए। निवेशकों से अपेक्षित होगा कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपनी शेयरधारिताओं को सांविधिक विनियामक अधिकतम सीमाओं से नीचे ले आएंगे।

2.18 असूचीबद्ध बैंकों के मामले में संपरिवर्तन मूल्य का निर्धारण बैंक के सामान्य शेयरों के उचित मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसका अनुमान परस्पर स्वीकार्य पद्धति के अनुसार हो, जो असूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के मूल्यन के लिए मानक बाजार व्यवहार के अनुकूल होना चाहिए।

2.19 यह मानदंड सुनिश्चित करने के लिए कि यदि ट्रिगर घटना होती है, तो जारीकर्ता बैंक द्वारा हर समय लिखत के निबंधनों और शर्तों में विनिर्दिष्ट प्रासंगिक संख्या में तत्काल शेयर जारी करने के लिए सभी आवश्यक

⁹ जैसाकि इस अनुबंध के आगामी पैरा 3 में वर्णित है।

पूर्व-प्राधिकार रखे जाने चाहिए, संपरिवर्तन पहलुओं का ध्यान रखने के लिए प्रत्येक बैंक के पूंजी उपनियम (clause) को उचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

V. विभिन्न प्रकार के एटी 1 लिखतों के संपरिवर्तन/राइट डाउन का क्रम

2.20 बैंकों को अपने कानूनी सलाहकारों की सलाह के आधार पर प्रस्ताव प्रलेख में ही संबंधित लिखत बनाम अन्य पूंजी लिखत, जिन्हें बैंक पहले ही जारी कर चुका है, अथवा भविष्य में जारी कर सकता है के संपरिवर्तन/राइट डाउन के क्रम का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।

3. गैर-इक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों के अव्यवहार्यता बिंदु पर हानि – अवशोषकता सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं

1. हानि अवशोषण के प्रकार और ट्रिगर घटना

3.1 भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए सभी गैर-सामान्य इक्विटी टियर 1 और टियर 2 पूंजी लिखतों के निबंधनों और शर्तों में एक उपबंध/प्रावधान होना चाहिए जिसमें यह अपेक्षित हो कि नीचे निर्धारित ट्रिगर घटना, जिसे अव्यवहार्यता बिंदू (पीओएनवी) ट्रिगर कहा जाता है, के घटित होने पर ऐसे लिखत भारतीय रिज़र्व बैंक की इच्छानुसार/के विकल्प पर या तो राइट ऑफ किए जाएंगे, या सामान्य इक्विटी में संपरिवर्तित किए जाएंगे।

(i) पीओएनवी ट्रिगर घटना निम्नलिखित से पहले है:

क) यह निर्णय कि संपरिवर्तन ¹¹ या राइट ऑफ ¹² आवश्यक है, जिसके बिना फर्म अव्यवहार्य बन जाएगी, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है, तथा

ख) यह निर्णय कि सरकारी क्षेत्र से पूंजी का अंतःक्षेपण किया जाए अथवा उसके समान सहायता दी जाए, जिसके बिना फर्म अव्यवहार्य बन जाएगी, जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है।

किसी भी गैर-इक्विटी (अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2) विनियामक पूंजी लिखत को राइट ऑफ करने से पहले किसी सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी को राइट ऑफ करना अपेक्षित नहीं होगा।

(ii) ऐसे निर्णय का निरपवाद रूप से मतलब यह होगा कि ट्रिगर घटना के उपरांत संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप राइट ऑफ या कोई नए शेयर जारी करना सरकारी क्षेत्र से किसी पूंजी के अंतःक्षेपण से पहले

¹⁰ यहां बाजार कीमत का आशय संपरिवर्तन की तारीख को प्रचलित कीमत नहीं है; बैंक संपरिवर्तन से पहले किसी विशिष्ट अवधि के दौरान किसी भी मूल्य निर्धारण फॉर्मूला, जैसे शेयरों का भारित औसत मूल्य का प्रयोग कर सकते हैं।

¹¹ संपरिवर्तन का आशय है सामान्य शेयरों में पूर्ण संपरिवर्तन।

किया जाना चाहिए, ताकि सरकारी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई पूंजी कम न हो जाए। इसलिए, लिखत के संबिदात्मक निबंधनों और शर्तों में जारीकर्ता पर किन्हीं अवशिष्ट दावों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जो ट्रिगर घटना के बाद और जब संपरिवर्तन या राइट ऑफ किया जाए, बैंक (या बैंकिंग समूह हस्ती, जहां लागू हो) के सामान्य शेयरों से वरीय हों।

(iii) राइट ऑफ¹³ के परिणामस्वरूप लिखत धारकों को अदा की जाने वाली कोई क्षतिपूर्ति सामान्य शेयरों के रूप में तत्काल अदा की जानी चाहिए।

(iv) यदि ट्रिगर घटना होती है, तो जारीकर्ता बैंक द्वारा हर समय लिखत के निबंधनों और शर्तों में विनिर्दिष्ट प्रासंगिक संख्या में तत्काल शेयर जारी करने के लिए सभी आवश्यक पूर्व-प्राधिकार रखे जाने चाहिए।

(v) इन अपेक्षाओं की पूर्ति की गई है यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) को एक बाह्य विधिक मत प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अव्यवहार्यता बिंदु पर गैर-इक्विटी पूंजी लिखतों (अतिरिक्त टियर 1 अथवा टियर 2) का संपरिवर्तन या राइट ऑफ करना विधिक रूप से प्रवर्तनीय है¹⁴। इसके अतिरिक्त, विधिक मत में यह भी पुष्टि की जानी चाहिए कि ट्रिगर घटना होने पर लिखतों को बैंक (अथवा एक बैंकिंग समूह संस्था, जहां लागू हो) के साधारण शेयरों में संपरिवर्तित करने या राइट ऑफ करने में कोई कानूनी बाधाएं नहीं हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों से अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा भी कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे लिखत विनियामक पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं।

॥. एक अव्यवहार्य बैंक

3.2 इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन से अव्यवहार्य बैंक होगा:

ऐसा बैंक, जो अपनी वित्तीय और अन्य कठिनाइयों के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक के मत में लाभप्रद संस्था न रह गया हो, जब तक कि इसके परिचालनों को पुनर्जीवित करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए जाते और इस प्रकार इसे लाभप्रद संस्था के रूप में बनाए नहीं रखा जाता। बैंक द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है, वे ऐसी होनी चाहिए जिनका संभाव्य परिणाम वित्तीय हानियां हो, तथा बैंक को अव्यवहार्य होने से बचाने के लिए बैंक की सामान्य इक्विटी 1 पूंजी जुटाना सबसे उचित तरीका माना जाना चाहिए। ऐसे उपायों में

¹² राइट-ऑफ का आशय है पूर्णतः और स्थायी रूप से राइट-ऑफ।

¹³ सामान्य शेयरों के रूप में प्रतिपूर्ति को (क) मूल लिखत के स्थायी राइट-ऑफ तथा (ख) गैर-इक्विटी पूंजी लिखत जिन्हें राइट ऑफ किया गया, के एवज में उनकी समाप्ति की क्षतिपूर्ति के रूप में जारी नए सामान्य शेयरों के निर्माण को समकालीन घटनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। लेखांकन मानकों के अंतर्गत सूक्ष्म पद्धतियां अलग हो सकती हैं। पूर्ण और स्थायी राइट-ऑफ के मामले में कोई क्षतिपूर्ति (अर्थात् शून्य सामान्य शेयर) अदा नहीं की जाती।

¹⁴ बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को पूंजी लिखत जारी करने संबंधी ब्योरा रिपोर्ट करते समय इसे प्रस्तुत किया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित माने गए अन्य उपायों के साथ या उनके बिना गैर-इक्विटी विनियामक पूंजी का राइट ऑफ/सामान्य शेयरों में संपरिवर्तन शामिल किया जाना चाहिए¹⁵।

III. व्यवहार्यता बहाल करना

3.3 वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाले और पीओएनवी की ओर अग्रसर बैंक को व्यवहार्यता प्राप्त काना जाएगा यदि उसे पुनर्जीवित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और यदि रिज़र्व बैंक के मत में उचित समय के भीतर वह वर्तमान कठिनाइयों से बाहर आ जाता है। राइट ऑफ/संपरिवर्तन/सरकारी क्षेत्र से निधियों के अंतर्क्षेपण के माध्यम से इक्विटी पूंजी के संवर्धन सहित उपायों के कारण:

- क. जमाकर्ताओं/निवेशकों का विश्वास पुनः स्थापित करने;
- ख. बैंक की रेटिंग/ऋण पात्रता में सुधार लाना और उसके द्वारा बैंक की उधार क्षमता और चलनिधि में सुधार और निधियों की लागत में कमी होने; तथा
- ग. निधियों के नए अंतर्क्षेपण के मामले में तुलन पत्र विकास के निधीयन हेतु संसाधन आधार बढ़ने की संभावना है।

IV. पीओएनवी पर हानि अवशोषण करने की दृष्टि से गैर-सामान्य इक्विटी पूंजी लिखतों द्वारा पूरी की जाने वाली अन्य अपेक्षाएं

3.4 लिखतों को निम्नलिखित में से किसी एक विशेषता के साथ जारी किया जा सकता है:

- क. संपरिवर्तन; अथवा
- ख. स्थायी रूप से राइट ऑफ

3.5 संपरिवर्तित/राइट ऑफ की जाने वाली गैर-इक्विटी पूंजी की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तय की जाएगी।

3.6 जब कोई बैंक पीओएनवी ट्रिगर का उल्लंघन करता है और संपरिवर्तन अथवा राइट ऑफ के माध्यम से इक्विटी की पुनः पूर्ति की गई हो, तो पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार लाभांश के रूप में अदायगी के लिए आमदनी का अनुपात तय करने के प्रयोजन से बैंक की कुल इक्विटी में ऐसी पुनः पूर्ति की गई इक्विटी को शामिल नहीं किया जाएगा। तथापि, एक बार जब बैंक ने पुनः पूरित इक्विटी पूंजी को गिने बिना सामान्य इक्विटी का 8% अनुपात प्राप्त कर लिया, तो उस बिंदु के बाद बैंक सभी प्रयोजनों के लिए पुनःपूरित इक्विटी पूंजी को शामिल कर सकता है¹⁶।

¹⁵ बिरली/असामान्य स्थितियों में कोई बैंक वित्तेतर समस्याओं के कारण भी अत्यवहार्य बन सकता है, जैसे बैंक के कार्य इस तरीके से करना, जो जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल हो, गंभीर कॉर्पोरेट गवर्नंस समस्याएं आदि। ऐसी स्थितियों में पूंजी जुटाने को समाधान को भाग नहीं माना जाता और इसलिए, इस संरचना के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

¹⁶ यदि बैंक का कुल सीईटी 1 अनुपात दुबारा 8% के कुल सामान्य इक्विटी अनुपात से नीचे गिर जाता है, तो पूंजी संरक्षण बफर संरचना लागू करने के प्रयोजन से वह पुनःपूर्ति की गई पूंजी को शामिल करेगा।

3.7 बैंक के ठप्प होने, समामेलन, अधिग्रहण, पुनर्गठन आदि स्थितियों में एटी 1 लिखतों के ट्रीटमेंट के संबंध में प्रावधान, जो कि पैराग्राफ 2.10 से 2.15 में दिए गए हैं, सभी गैर-सामान्य इक्विटी पूंजी लिखतों (एटी 1 और टियर 2 पूंजी लिखत) पर भी लागू होंगे, जब पीओएनवी पर संपरिवर्तन/राइट ऑफ के बाद ये घटनाएं होंगी।

3.8 ऊपर पैरा 2.16 से 2.19 तक दिए गए संपरिवर्तन मूल्य, एटी 1 लिखतों पर लागू शेयरों की संख्या/मताधिकारों की अधिकतम सीमा तय करने के संबंध में प्रावधान सभी गैर-सामान्य इक्विटी पूंजी लिखतों (एटी 1 और टियर 2 पूंजी लिखत) के पीओएनवी पर संपरिवर्तन के संबंध में भी लागू होंगे।

3.9 एटी 1 लिखतों के संपरिवर्तन/राइट-डाउन के क्रम के संबंध में प्रावधान, जैसे कि ऊपर पैराग्राफ 2.20 में दिए गए हैं, सभी गैर-सामान्य इक्विटी पूंजी लिखतों (एटी 1 और टियर 2 पूंजी लिखतों) के पीओएनवी पर संपरिवर्तन/राइट-ऑफ के लिए भी लागू होंगे।

V. पीओएनवी का निर्धारण करने हेतु मानदंड

3.10 उक्त संरचना का अवलंब लिया जाएगा जब भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी बैंक को अव्यवहार्यता बिंदु तक पहुंचने वाला अथवा अव्यवहार्यता बिंदु तक पहुंच चुका घोषित किया जाता है किंतु भारतीय रिज़र्व बैंक के मत में :

- क) ऐसी संभावना हो कि अन्य सहायक हस्तक्षेपों सहित या अनेक पूंजी सहायता के रूप में समय से हस्तक्षेप करने से बैंक का बचाव हो सकता है; तथा
- ख) यदि उसे उपेक्षित किया जाए तो इन कमजोरियों के कारण बैंक को वित्तीय हानि पहुंचेगी और इस प्रकार उसके सामान्य इक्विटी स्तर में कमी आएगी।

3.11 गैर-इक्विटी विनियामक पूंजी तत्वों के राइट-ऑफ तथा/अथवा संपरिवर्तन का उद्देश्य बैंक के पूंजी स्तर को मजबूत करना है। बैंक की अव्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दो चरण वाली विधि अपनाएगा। चरण 1 मूल्यांकन में पूर्णतः वस्तुनिष्ठ और मात्रा निर्धारित करने योग्य मापदंड निहित होंगे, जो यह दर्शाएंगे कि प्रथमदृष्टया बैंक द्वारा अव्यवहार्यता तक पहुंचने का मामला बनता है और इसलिए बैंक की वित्तीय स्थिति की गहनतर जांच आवश्यक है। चरण 2 मूल्यांकन में पूरक व्यक्तिपरक मानदंड निहित होंगे, जो चरण 1 सूचना के साथ मिलकर यह निर्णय करने में सहायक होंगे कि क्या बैंक अव्यवहार्य बनने वाला है। इन मानदंडों का मूल्यांकन एक साथ किया जाएगा, न कि अलग-अलग।

3.12 जैसे ही पीओएनवी की पुष्टि होगी, अगले कदम में यह तय करना होगा कि बैंक का बचाव केवल राइट-ऑफ/संपरिवर्तन के द्वारा होगा या सरकारी क्षेत्र से निधियों के अंतःक्षेपण के साथ राइट-ऑफ/संपरिवर्तन के द्वारा।

3.13 पीओएनवी पर ट्रिगर का मूल्यांकन समेकित और एकल दोनों स्तरों पर किया जाएगा तथा किसी भी स्तर पर उल्लंघन संपरिवर्तन/राइट-ऑफ की शुरुआत करेगा।

3.14 चूंकि पूंजी पर्याप्तता एकल और समेकित, दोनों स्तरों पर लागू है, बैंकों की सहायक कंपनियों, जिसमें विदेशों में स्थित सहायक कंपनियां शामिल हैं, द्वारा जारी किए गए पूंजी लिखतों के संबंध में अल्पमत वाले हितों को बैंकिंग समूह की समेकित पूंजी में केवल तभी शामिल किया जा सकता है, यदि इन लिखतों में पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर (एटी 1 पूंजी लिखतों के मामले में)/पीओएनवी ¹⁷ पर हानि अवशोषण (सभी गैर-सामान्य इक्विटी पूंजी लिखतों के लिए) हो। इसके अतिरिक्त, जहां बैंक अपनी एकल पूंजी के अलावा अपनी सहायक कंपनी द्वारा जारी लिखतों को समेकित समूह की पूंजी में शामिल करना चाहता है, तो उस लिखत के निबंधनों और शर्तों में एक अतिरिक्त ट्रिगर घटना को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

यह अतिरिक्त ट्रिगर घटना निम्नलिखित से पहले होगी :

- (1) यह निर्णय कि संपरिवर्तन या राइट-ऑफ, जिसके बिना बैंक या सहायक कंपनी अव्यवहार्य बन जाएगी आवश्यक है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है; तथा
- (2) सरकारी क्षेत्र द्वारा पूंजी डालने या उसके समान सहायता लेने का निर्णय, जिसके बिना बैंक या सहायक कंपनी अव्यवहार्य बन जाएगी, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसे निर्णय में अपरिहार्य रूप से यह माना जाएगा कि ट्रिगर घटना होने के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन या राइट-ऑफ या नये शेयर जारी करना सरकारी क्षेत्र से पूंजी के किसी अंतःक्षेपण से पहले होना चाहिए, ताकि सरकारी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई पूंजी कम न हो जाए।

3.15 ऐसे मामलों में सहायक कंपनी को ऊपर पैरा 3.14 में बताए गए अनुसार अतिरिक्त ट्रिगर बिंदु पर पूंजी लिखतों के संपरिवर्तन/राइट-ऑफ करने के लिए विनियामक से अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त करना चाहिए।

3.16 लिखत के धारकों को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किए गए कोई सामान्य शेयर जारीकर्ता सहायक कंपनी अथवा मूल बैंक (संकल्प में वर्णित किसी वारिस सहित) के सामान्य शेयर होने चाहिए।

¹⁷ प्रत्येक सहायक कंपनी में निवेश करने की तारीख को मूल बैंक द्वारा प्रत्येक सहायक कंपनी में निवेश की लागू तथा प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी में मूल बैंक के भाग को एएस-21 के अनुसार निकाल दिया गया है। अतएव, पूर्ण-स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें बैंक की पूंजी के समान विशेषताएं हैं या नहीं। तथापि, पूर्णतः से कम स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के मामले में (अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की गैर-इक्विटी विनियामक पूंजी यदि तीसरी पार्टियों को जारी की हो तो, के मामले में) अल्पमत वाले हित बैंकिंग समूह के लिए उनके एकल स्तर पर गिनी गई पूंजी के ऊपर अतिरिक्त पूंजी का निर्माण करते हैं; अतः इसे केवल तभी शामिल किया जाना चाहिए जब इसमें (और परिणामस्वरूप उस श्रेणी की संपूर्ण पूंजी में) बैंक की पूंजी के समान विशेषताएं हों।